न्यायालय : अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, खगड़िया।

विशेष जमानत आवेदन सं0–58/23

पसराहा थाना काण्ड सं0–222/23

अनिल कुमार दास – बनाम् – राज्य

उपस्थित
अतुल कुमार पाठक,
अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,
खगड़िया।

13.09.2023

काराधीन आवेदक/अभियुक्त अनिल कुमार दास की ओर से विशेष जमानत आवेदन पसराहा थाना काण्ड सं0–222/23, जी0आर0 सं0–19/23, अन्तर्गत धारा–354(बी), 341 भा0दं0वि0 एवं 4, 8, 12 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया है तथा इनके विद्वान् अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार के द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त 08.08.2023 से कारा अभिरक्षा में है।

विशेष नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा इन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। पूर्व में आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त 08.08.2023 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक प्राथमिक कन्या विद्यालय, पुनौर के प्रधानाध्यापक हैं। घटना दिनांक 05.08. 2023 को 02:30 बजे दिन की, जबकि उस दिन शनिवार था और 01:30 बजे स्कूल में छूट्टी हो गयी थी तथा आवेदक को साजिश के तहत इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा सूचक को रंगदारी नहीं देने के कारण उनके विरूद्ध यह झूठा आरोप लगाया गया है। आवेदक बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। आवेदक एक साधन–सम्पन्न व्यक्ति है तथा उनके भागने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को विशेष नियमित जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक के द्वारा नियमित जमानत का विरोध किया गया।

सूचक के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक की लड़की (पीड़िता), उम्र–12 वर्ष अपने गाँव के कन्या प्रा0वि0 में पढ़ती है। प्रत्येक दिन की भांति दिनांक 05.08.2023 को समय करीब 09:30 बजे दिन में सूचक की लड़की पीड़िता, जो पाँचवीं कक्षा में पढ़ती है, घर से निकली थी, स्कूल जाने के लिए, जब वह शाम में करीब तीन बजे रोती हुई घर वापस आई, जब सूचक ने रोने के संबंध में पूछे तो पीड़िता ने रोते हुए बतलायी कि जब वह स्कूल में 14:30 बजे बरामदे में घुम रही थी तो बरामदे में ही उसके स्कूल के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार दास, उम्र–51 वर्ष, कुर्सी पर बैठे थे, जिसने पीड़िता को देखते ही पकड़ लिए तथा पीड़िता के सीने को गलत ढ़ंग से छूने लगे। किसी

लगातार.....

न्यायालय : अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, खगड़िया।

विशेष जमानत आवेदन सं0–58/23

पसराहा थाना काण्ड सं0–222/23

लगातार

13.09.2023

तरह से पीड़िता वहाँ से छुड़ाकर भागी तथा यह बात अपने स्कूल के तीनों मैडम को बतलाई तो मैडम ने बोली कि वह बच्चा समझ के प्रेम करता है, जब इतना बात सूचक अपनी बच्ची का सुने तो वे अपने ग्रामीण एवं भाई के साथ थाना आकर लिखित आवेदन दिये। सूचक की लड़की ने यह भी बताया कि पूर्व में भी ऐसा हरकत किये हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध ऊपरी नामित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा आवेदक इस काण्ड के नामजद अभियुक्त हैं। आवेदक/अभियुक्त पर नाबालिग पीड़िता को गलत इरादे से छिना छूने का आरोप है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–4 में वादी का पुनः बयान दर्ज है, जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया तथा अन्य साक्षियों ने काण्ड दैनिकी के कंडिका–5, 6, 8 एवं 17 में घटना का समर्थन किया। काण्ड दैनिकी की कंडिका–48 में पीड़िता का धारा–164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अपने बयान में घटना का पूर्णतः समर्थन करते हुए अपने बयान के क0सं0–3 में कथन किया है कि अनिल सर सब बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। मेरे साथ पाँच से छह बार ऐसा छाती पकड़कर दबाया है। अभिलेख पर धारा–161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज है, जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। कारित अपराध समाज एवं राष्ट्र के प्रतिकूल है। काण्ड अभी अनुसंधान के क्रम में है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने से साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आरोप की गम्भीरता को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त का विशेष नियमित जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,
खगड़िया।